न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : कमर चौधरी
आइ0ए0एस0

निगरानी सं0 02/2012 न0पा0अ0

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द जाति मीना निवासी अशोक नगर, दौसा
2. महेश पुत्र रामकिशोर जाति मीना निवासी अशोक नगर, दौसा
3. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी अशोक नगर, दौसा

....प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनीता पत्नि रामकिशोर खूंटेटा जाति महाजन निवासी कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
2. नगर पालिका मण्डल दौसा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73 (2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध आदेश व पट्टा विलेख, भू आवंटन पत्र दिनांक 30.12.2000 जो नगरपालिका मण्डल दौसा द्वारा नगर नियोजन विभाग की एन0ओ0सी0 व नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान के विरूद्ध आम रास्ता की भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी किया गया है, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित– 1. श्री गंगासहाय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक: 02.09.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 73 (2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इस प्रकार है कि नगर पालिका मण्डल दौसा द्वारा दिनांक 30.12.2000 को अप्रार्थी सुनीता को 233.33 वर्गगज क्षेत्रफल पट्टा जारी कर दिया। नगर पालिका दौसा के उक्त आदेश से असंन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख मंगवाया गया। सर्वप्रथम प्रारंभिक आपत्ति पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। आपत्तिकर्ता सुनीता पत्नि रामकिशोर महाजन द्वारा प्रारंभिक आपत्ति पेश कर गैर निगरानीकार सुनीता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 30.12.2000 को चुनौती दी गई है, के सम्बन्ध में निवेदन किया कि आपत्तिकर्ता को जारी पट्टा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत जारी किया गया है तथा नगरपालिका दौसा द्वारा इसका दिनांक 31.03.2001 को उप पंजीयक दौसा के समक्ष विधिवत करा[illegible] है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 की उपधारा 7 में प्रावधान है कि 30 दिवस की अवधि में संभागीय आयुक्त को ही अपील [illegible] है, इसलिए [illegible]न को यह मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 80 तो म्युनिसि[illegible] के बारे में है। चूंकि नगरपालिका दौसा ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख का विधिवत पंजीयन कराया है। पंजीकृत सेल डीड को निरस्त करने का अधिकार भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

माननीय न्यायालय श्रीमान को नहीं है। प्रार्थना पत्र 73 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 मियाद बाहर है क्योंकि 2001 के रजिस्टर्ड हुए विकय पत्र के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र दिनांक 8.5.2012 को 11 वर्ष से भी अधिक विलंब से यह निगरानी पेश की गई है। अतः प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता निगरानीकार/प्रार्थी ने जवाब प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रारंभिक आपत्ति का धारा 80 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 80(2) व धारा 73 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत चलने योग्य है। प्रार्थी की आपत्ति निराधार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 90 बी के तहत पारित रूपांतरण आदेश के विरूद्ध नहीं है। नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 8.9.1998 को सडक के मध्य से 15–15 फीट दोनों ओर रास्ता छोडकर भूमि रूपांतरण हेतु अनापत्ति जारी की गई थी तथा नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान में भी रास्ता 30 फीट चौडा कायम किया गया है। नगरपालिका ने रास्ता 30 फीट छोडने के बजाय 15 फीट ही रास्ता मानकर साढे सात फीट चौडी व 45 फीट रास्ता की भूमि को शामिल कर पट्टा जारी किये गये आवंटन दिनांक 30.12.2000 व पट्टा विलेख के विरूद्ध उन्हें निरस्त करने हेतु प्रार्थना किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। धारा 80(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत भूमि विकय करने, पट्टे पर देनें, अन्तरित करने की वैधता व औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत अभिलेख मंगवा सकते है तथा सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विकय या अन्तरित करने का प्रस्ताव व कृत्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है या उनका उल्लंघन करता है तो जिला कलक्टर सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, अन्तरित करने के लिए किये गये प्रस्ताव को व उसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही को पूर्णतः या अंशतः उपान्तरित, रदद या विखण्डित कर सकते है। धारा 73(2) राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 में भी यही प्रावधान है। नगरपालिका दौसा ने अवैध रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत आम रास्ता की भूमि को शामिल करते हुए भू आवंटन पत्र व पट्टा जारी करने का आदेश देकर भू आवंटन पत्र व पट्टा विलेख जारी कर दिया है जो अवैध है। किसी भी विकय, आवंटन व पट्टे की वैधता व औचित्यता के संबंध में अपना समाधान करने के लिए माननीय न्यायालय अधीनस्थ नगरपालिका से किसी भी समय अभिलेख मंगवा सकता है तथा इस हेतु अपना समाधान कर सकता है या अवैध विकय को निरस्त कर सकता है। धारा 80(2) व 73 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने की व न्यायालय जिला कलक्टर महोदय द्वारा रिकार्ड मंगवाकर उसकी वैधता व औचित्यता की जांच करने की व अवैध आवंटन पत्र व विकय पत्र को निरस्त करने की कोई मियाद नहीं होती है। प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में उठाये गये उजरात गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के समय ही देखे [illegible] के बाद मूल प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस का कोई मुद्दा शेष नहीं र[illegible]। इसलिए आपत्ति प्रार्थना पत्र में उठाये गये उजरात अंतिम [illegible] जाना उचित होगा। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति प्रकरण को [illegible] किया गया है। अतः प्रार्थना प्रत्र प्रारंभिक आपत्ति सारहीन होने से खा[illegible] फरमाई जावे एवं मूल निगरानी में सुनवाई की जावे।

प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रारंभिक आपत्ति का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रारंभिक आपत्ति

......निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested

का मूल विषय वाद के क्षेत्राधिकार व उसमें हुई देरी का प्रश्न है किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी प्रारम्भिक आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अनेक बिन्दु उठाये गये हैं जो कि विचाराधीन वाद की मैरिट से संबंधित है तथा जिनका विवेचन/निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना न्यायोचित है। यहाँ तो केवल मात्र इतना देखना है कि प्राथमिक स्तर में निगरानी चलने योग्य है अथवा नहीं किन्तु किन्तु इसके विपरीत अधिवक्ता प्रार्थी प्रारंभिक आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति के साथ–साथ कई बिन्दु उठाये गये हैं। वर्तमान में उभपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/निगरानीकार को नगरपालिका के निर्णय के प्रति असंतोष है। ऐसी स्थिति में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर ज्यादा विचार नहीं किया जाकर निगरानी को मैरिट पर ही सुना जाना उचित होगा जिससे प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जा सके। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रारभिक आपत्ति खारिज की जाकर मूल निगरानी पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं.1 के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण नें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा के सामने, जयपुर आगरा रोड के उत्तर की ओर अशोक नगर नाम से आवासीय कॉलोनी स्थित है। उक्त कॉलोनी व उसके आस पास की कालोनियों का नगर नियोजन विभाग से सर्वे करा कर प्लान स्वीकृत किया हुआ है। दौसा–आगरा रोड से अशोक नगर कालोनी के तीन रास्ते हैं जिन्हें अशोक नगर सैक्टर 1, सैक्टर 2 व सैक्टर 3 के रूप में जाना जाता है। अशोक नगर सैक्टर 1 कॉलोनी गत 35 वर्षों से बसी हुई है। उक्त कॉलोनी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1478, 1479, 1481, 1482, 1485 से 1489 आदि में बसी हुई है। हालांकि कॉलोनी काटी गई तब खातेदारों ने कॉलोनी का रास्ता 20 फीट छोडा था, लेकिन नगर नियोजन विभाग ने रास्ता 30 फीट चौडा स्वीकृत किया है। भूखण्डों के बारे में जो अनापत्ति पत्र नगर नियोजन विभाग द्वारा समय–2 पर जारी किये गये है, मे भी 30 फीट चौडा रास्ता (रास्ते के मध्य से 15–15 फीट चौडा) कायम करते हुए जारी किया गया है। उक्त कॉलोनी की कृषि भूमि धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारान के सभी हित व अधिकार समाप्त कर राज्य सरकार के हक में पुर्नग्रहित कर ली गई है। भूमि पुर्नग्रहित कर प्राधिकृत अधिकारी (उपखंड अधिकारी) दौसा द्वारा नगरपालिका दौसा के नाम अंकित करने के आदेश दिये गये है। जिसके आधार पर नगरपालिका दौसा की खातेदारी में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। इसी कम में भूमि खसरा नंबर 1489 रकबा 0.11है. भी खातेदार के अधिकार समाप्त कर राज्यहित में पुर्नग्रहित कर नगरपालिका के नाम दर्ज हो गई है। नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान में [illegible]ोक नगर सैक्टर 1 कॉलोनी का रास्ता जो जयपुर दौसा आग[illegible] को 30 फीट चौडा कायम किया गया है। नगरपालिका [illegible] में धारा 90 बी के तहत भूखण्डों का नियमन कर आवंटन पत्र [illegible] किया गया वह नगर नियोजन द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है। तथा रास्ता जहाँ 20 फीट है उसके दोनो ओर की 5–5 फीट भूमि तथा जो रास्ता 15 फीट है वहाँ दोनों साढे

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested

.......निरंतर 4 पर

सात–साढे सात फीट भूमि दोनों ओर के भूखंडों में से कम करके रास्ता 30 फीट कायम कर पट्टे जारी किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 सुनीता देवी द्वारा खसरा नंबर 1489 की 233.33 वर्गगज भूमि का आवंटन पत्र व पट्टा–जारी करने हेतु आवेदन किया गया व उसके साथ उक्त भूमि को राज्य हित में समर्पण करने हेतु प्रपत्र 5 में दस रूपये के स्टाम्प पर समर्पणनामा भी उपखंड अधिकारी दौसा को पेश किया गया। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए प्राधिकृत अधिकारी (उपखंड अधिकारी) दौसा ने प्रकरण संख्या 1961/1998 राज.भू./90 ख सरकार बनाम रामजीलाल व सुनीता में दिनांक 27.12.2000 को राजस्व ग्राम दौसा खुर्द की कृषि भूमि खसरा नंबर 1489 रकबा 0.11है. में से 233.33 वर्ग गज भूमि के खातेदारी अधिकारी पर्यवसान कर उक्त भूमि को राज्यहित में पुनर्ग्रहित कर नगरपालिका अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत नगरपालिका दौसा का अधिकार एवं स्वामित्व प्रोद्भूत होना मानकर उक्त भूमि का नामान्तरण नगरपालिका दौसा के नाम अंकित करने के आदेश तहसीलदार दौसा के नाम जारी कर दिये गये जिस पर खसरा नंबर 1489 रकबा 0.11है. ग्राम दौसा खुर्द में से 233.33 वर्गगज भूमि नगरपालिका दौसा की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। भूमि नगरपालिका के नाम आबादी में दर्ज होने पर नगरपालिका को नगर नियोजन के ले आउट प्लान व अनापत्ति पत्र जन उपयोग की व रास्ता की भूमि काट कर भूमि का नियमन कर उसका पुनः आवंटन पत्र जारी करने का अधिकार नगरपालिका दौसा को प्राप्त हो गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में धारा 90 ख जोडने एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में धारा 80 में संशोधन करने के उपरांत नगरपालिका दौसा ने गुपचुप में एक दिन में ही दिनांक 30.12.2000 को धारा 90 ख के तहत भूखण्डों का नियमन कर पट्टा जारी करने हेतु आदेश पारित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 की पत्रावली पर पट्टा जारी करने से पूर्व नगरपालिका को नगर नियोजन द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान व उप नगर नियोजक जयपुर जोन जयपुर की एन0ओ0सी0 दिनांक 8.9.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के भूखण्ड के पश्चिम की ओर स्थित अशोक नगर सैक्टर नं0 1 के रास्ता की 30 फीट चौडी भूमि रास्ता के मध्य से दोनो ओर 15–15 फीट कुल 30 फीट चौडी भूमि रास्ता के रूप में सुरक्षित रखी जानी थी। अप्रार्थी सं01 द्वारा अपने आवेदन में व उसके संलग्न नक्शे मे रास्ता की 7 फीट 6 इंच भूमि शामिल करते हुए अपने भूखंड के पश्चिम की ओर 15 फीट चौडा रास्ता ही दिखा रखा था। नगरपालिका को पट्टा देने से पूर्व रास्ता 30 फीट चौडा रखते हुए अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आवेदित भूखण्ड व प्रस्तुत नक्शा में से में 7 फीट 6 इंच चौडी रास्ता की भूमि कम करने के उपरांत ही शेष भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार था। लेकिन नगरपालिका दौसा ने रेस्पो0 सं0 1 से मिलीभगत करके नगर नियोजन की एन0ओ0सी0 व नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के विपरीत 7 फीट 6 इंच पूर्व पश्चिम व 45 फीट उत्तर दक्षिण रास्ता की भूमि को शामिल करते हुए रास्ता की भूमि का भी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 30.12.2000 को धारा 90 ख राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भू आवंटन पत्र व पट्टाविलेख जारी कर दिया जो कि गैर कानूनी है। आम रास्ता की भूमि का भू आवंटन पत्र व पट्टा जारी करने का नगरपालिका दौसा को अधिकार नहीं है। नगरपालिका द्वारा आम रास्ता की 7 फीट 6 इंच गुणा 45 फीट भूमि को शामिल कर अप्रार्थी संख्या 01 के हक में पट्टा जारी करने का आदेश, भू आवटन पत्र व पट्टाविलेख दिनांक 30.12.2000 सरासर अवैध व अधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नगरपालिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

.......निरंतर 5 पर

दौसा ने नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत 30 फीट चौडे रास्ते को 15 फीट चौडा ही रख दिया है जिसका नगरपालिका दौसा को कोई अधिकार नहीं है। नगरपालिका दौसा ने दिनांक 30.12.2000 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया है, उसमें यह तो स्पष्ट दर्ज है कि पश्चिम में कम से कम 30 फीट का चौडाई में सडक के मध्य से 15 फीट भूमि छोडे जाने के बाद शेष भूमि आवासीय उपयोग में रहती है जिसकी बाबत नगर नियोजन द्वारा दिनांक 7.8.1998 को आपत्ति जारी की गई है इसके बाद भी 30 फीट के बजाय 15 फीट रास्ता मानकर रास्ते की 7 फीट 6 इंच गुणा 45 फीट भूमि शामिल कर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उसके पश्चिम में रास्ता छोडकर मूल खातेदार रामजीलाल शर्मा जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि कय की है, की भूमि है। उक्त रामजीलाल शर्मा ने नगरपालिका दौसा से उक्त रास्ता के पश्चिम की ओर स्थित भूमि का पट्टा प्राप्त किया है। नगरपालिका दौसा ने रामजीलाल शर्मा को उसके व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य 30 फीट का रास्ता ले आउट प्लान के अनुसार छोडकर पट्टा जारी किया गया है। एकतरफ अप्रार्थी सं0 1 के पट्टे में तो उक्त रास्ता नगरपालिका 15 फीट चौडा मानती है तो दूसरी ओर रामजीलाल शर्मा को जारी पट्टे में उक्त रास्ता को 30 फीट चौडा मानती है। इससे स्पष्ट है कि नगरपालिका अप्रार्थी सं0 1 से मिलीभगत करके रास्ता की भूमि को शामिल कर अप्रार्थी संख्या 01 के हक में सरासर गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। धारा 90 ख की कार्यवाही के बाद एवं पट्टा जारी करने से पूर्व न तो आपत्ति नोटिस जारी किया गया ना ही मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है। मिलीभगत से गुप चुप में एक ही दिन में फर्जीवाडा करते हुए अप्रार्थी सं0 1 के हक में पट्टा जारी कर दिया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी/प्रार्थना पत्र के समर्थन में (1) ए.आई.आर.1962 (एस0सी0)554 पैरा सं. 11, (2)ए.आई.आर.2007 (एन.ओ.सी.)836 राज0 (3) 1999 डी.एन.जे.(राज.)–169 (4) 2008 (2) डी.एन.जे.(राज.)–1069 (5) 1972आर.एल.डब्ल्यू. पेज 51 (6) आर.एल. डब्ल्यू.1994 (2) पेज 360, (7) 2000 डी.एन.जे.(राज.)–514 (8)Raj Laws(Amendment)Act 1999 (sec.90 B Land Revenue Act. Sec.80 A Municipal Act. (9) Sec.80 & 80 A Raj. Municipal Act. 1959 (10) Sec.71 & 73 A Raj. Municipal Act. 2009 (11) Sec.90 A Raj. Land Revenue Act. (12) Notification u/s 80(2)Raj.Municipal Act. 1959 में प्रतिपादित न्याय निर्णयों एवं अधिसूचनाओ की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नगरपालिका दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी करने का आदेश, भू आवंटन पत्र व पट्टाविलेख दिनांक 30.12.2000 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस में दलील है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 73(2) व धारा 80 नगरपालिका अधिनियम 2009 इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को यह पट्टा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ब के तहत जारी किया गया है। उक्त पट्टे का पंजीयन नगरपालिका दौसा द्वारा दिनांक [illegible].3.2001 को उप पंजीयक दौसा द्वारा विधिवत करा दिया गया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 की उपधारा 7 में यह प्रावधान है कि 30 दिन की अवधि में संभागीय आयुक्त को ही अपील सुनने का अधिकार है इसलिए श्रीमानजी के न्यायालय को यह मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। धारा 80 नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत भी श्रीमान को यह मुकदमा सुनने

.......निरंतर 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested

का अधिकार नहीं है क्योंकि धारा 80 म्युनिसिपल फंड के बारे में है। चूंकि नगरपालिका दौसा ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख का विधिवत पंजीयन कराया है। पंजीकृत सेल डीड को निरस्त करने का अधिकार भी माननीय न्यायालय को नहीं है। साथ ही प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है क्योंकि 2001 को हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 8.5.2012 को मियाद बाहर पेश किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ नगरपालिका दौसा की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का गौरपूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ नगरपालिका दौसा द्वारा गैर निगरानीकार सं. 1 सुनीता पत्नि रामकिशोर खूंटेटा के पक्ष में दिनांक 30.12.2000 को 233.33 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। उक्त जारी पट्टे का पंजीयन नगरपालिका दौसा द्वारा उप पंजीयक दौसा से दिनांक 31.3.2001 को पंजीयन कराया गया था। नगर नियोजन विभाग की राय अनुसार 30 फीट का रास्ता कायम किया गया है। प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि नगरपालिका मण्डल दौसा द्वारा जारी पट्टे में रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए पट्टा जारी किया गया है, जिससे रास्ता 30 फीट के स्थान पर 15 फीट चौडा रह गया है। नगर नियोजन विभाग की राय व पट्टे की पुश्त पर अंकित नक्शा प्लान के अवलोकन से रास्ता की चौडाई 30 फीट होना चाहिए। चूंकि निगरानीकारान द्वारा पट्टे की संपूर्ण वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, मात्र रास्ते की भूमि को समायोजित कर पट्टा जारी किये जाने की संभावना के मध्यनजर पट्टे को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः हम प्रकरण में जारी पट्टा व नगर नियोजन विभाग की राय को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर उपलब्ध रास्ते की चौडाई की जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु नगरपालिका/नगरपरिषद दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण नगर परिषद दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जारी पट्टे में दर्शाया गया रास्ता, नगर नियोजन विभाग की रास्ते की चौडाई के संबंध में दी गई राय एवं मौके पर उपलब्ध रास्ते की चौडाई को दृष्टिगत रखते हुए जांच कर पुनः विधि अनुरूप आदेश पारित करें। अधीनस्थ नगरपालिका दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रतिष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02 सितम्बर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:41 IST
Reason: SelfAttested